UPSB010022802026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

पीठासीन–राम सुलीन सिंह, एच.जे.एस.UP1886

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1011/2026

1. महेन्द्र प्रसाद पुत्र बंशी, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी–सरायरानी पकरपुर, थाना कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर।

2. चन्दन कुमार यादव पुत्र स्व0 मुसाफिर यादव, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी–अखोला, थाना सुखपुरा, जिला बलिया। हाल पता–बिल्ली मारकुण्डी ओबरा, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **महेन्द्र प्रसाद एवं चन्दन कुमार यादव** के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार सिंह एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

2. प्रार्थीगण **महेन्द्र प्रसाद एवं चन्दन कुमार यादव,** मुकदमा संख्या–9670/2025, मुकदमा अपराध संख्या–487/2024, अं.धारा–303(2)भारतीय न्याय संहिता व धारा–3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में अभियुक्तगण हैं।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में उनकी इस न्यायालय में प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है, न ही निरस्त हुआ है। आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है। यह कथन किया गया है कि अभियोजन कथानक सरासर गलत एवं असत्य है। तत्पश्चात् यह कथन किया गया कि उक्त मुकदमें में उनको साजिशन व रंजिशन फंसाया गया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किये हैं। उक्त मुकदमें में उनको दौरान विवेचना अभियुक्त बनाया गया है। उक्त मुकदमें में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, न ही उनके कब्जे से कोई किसी तरह का माल ही बरामद हुआ है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उक्त आधार पर अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 03.07.2024 को 11.00 बजे दिन में वादी मुकदमा ए.जी. अंसारी, खान पर्यवेक्षक, खनिज विभाग, सोनभद्र द्वारा पुलिस बल के साथ खनिज बैरियर, लोढ़ी पर उप खनिज लदे वाहनों की जांच के दौरान वाहन संख्या–यू.पी.–44 बी.टी.–6756 को उप खनिज डोलो स्टोन गिट्टी परिवहन करते हुए पाया गया, जिसकी माप करने पर वाहन में 33.66 घन मीटर गिट्टी लोड पायी गयी। चालक से परिवहन प्रपत्र मांगने पर उसके द्वारा कोई परिवहन प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विभागीय पोर्टल से

....2

जांच करने पर उक्त वाहन में लदी गिट्टी के सम्बन्ध में कोई परिवहन प्रपत्र निर्गत होना नहीं पाया गया। चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुनील कुमार व पता बताया। अतः वाहन को मय चालक राबर्ट्सगंज मण्डी परिसर में खड़ा कराकर चालक को पुलिस की सुपुर्दगी में देकर उक्त वाहन के चालक व स्वामी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

6. सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satender kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation & Ors. SLP (Crl) No. 5191 of 2021 में उद्धृत सिद्वान्त के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के सम्यक् परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकरण के विवेचक द्वारा विवेचनोंपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।दौरान विवेचना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है।अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उनके द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किये जाने के सम्बंध में कोई आख्या प्रस्तुत की गयी है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। सह अभियुक्त की जमानत हो चुकी है।

8. अतः मामलें के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं पाता हूँ कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **महेन्द्र प्रसाद व चन्दन कुमार यादव** की तरफ से मुकदमा संख्या– 9670/2025, मुकदमा अपराध संख्या–487/2024, अं.धारा –303(2)भारतीय न्याय संहिता व धारा–3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/–(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो स्थानीय विश्वसनीय प्रतिभू सम्बधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर उसे विचारण की समाप्ति तक निम्नलिखित शर्तो के अधीन चतुर्थ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाय–

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रकरण के विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करेगें अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं प्रस्तुत करेगें।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि पर समक्ष न्यायालय उपस्थित रहेगें।
3. प्रार्थीगण अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से न तो डरायेगा न ही धमकायेगा और किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगें।
4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिना न्यायालय की अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगें।
5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत की शर्तो का उल्लंघन किये जाने की दशा में विचारण न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगें।

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र।

दिनांक–04.06.2026